रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक--19 दिनांक 24.08.2026)

रायपुर विकास प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर (इंदिरा गॉधी) व्यावसायिक परिसर योजनांतर्गत स्थित पार्किंग स्थल को संचालन के लिएं एक वर्ष के लिए ठेके पर दिया जाना हैं। इस हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्तियों से दिनाक **08.09.2026** को अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में रु 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) नगद जमा कर दिनांक **07.09.2026** को अपरान्ह 1:30 बजे तक अन्य जानकारी सहित प्राप्त किया जा सकता हैं। धरोहर राशि के मद में रू. 30,000/- "एफ.डी.आर." के रूप में देय होगा। उक्त आमंत्रण सूचना वेबसाइट https://rdaraipur.cgstate.gov.in में तथा संशोधन भी देखा जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र.3042/मिस/टी.एस./2021/21/पार्ट--I रायपुर,दिनांक 24/08/2026

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु।
4. एम.आई.एस. शाखा प्रभारी रायपुर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. सहायक अभियंता, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

इंदिरा गाँधी व्यावसायिक परिसर, देवेन्द्र नगर, रायपुर में वाहन पार्किंग स्थल हेतु निविदा की शर्ते

रायपुर विकास प्राधिकरण, की इंदिरा गाँधी व्यावसायिक परिसर, देवेन्द्र नगर, रायपुर में वाहन के पार्किंग स्थल हेतु निविदा के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर दिया जाना है। इस हेतु निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में नगद राशि रू. 2000/– का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

–: निविदा की शर्ते :–

1. (अ) निविदादाता/ठेकेदार को निविदा पत्र के साथ द्वारा शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में विगत 03 वर्षो का वाहन के पार्किंग कार्य के संचालन कार्य का अनुभव–प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

   (ब) निविदादाता छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए।

   (स) निविदादाता/ठेकेदार को पेन कार्ड व आधार कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

   (द) निविदादाता/ठेकेदार को स्वीकृत बोली ठेका राशि का 2% की दर से TCS आयकर की राशि तथा प्रचलित जी.एस.टी. गुडंस् सर्विस टैक्स ठेका राशि के साथ कलर पासपोर्ट फोटो साहित अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

   (इ) निविदादाता का निविदा पत्र व अन्य जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

2. निविदादाता/ठेकेदार को रायपुर नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित भवन स्वामी का जमानतनामा प्रस्तुत करना होगा। पार्किंग स्थल का ठेका पूर्णतः अस्थाई होगा, जिसे कभी भी प्राधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

3. पार्किंग स्थल के ठेके हेतु आरक्षित राशि रू. 4,41,000/– (रूपये चार लाख, इकचालीस हजार मात्र) है। निविदादाता को इससे अधिक राशि का प्रस्ताव देना होगा। इससे कम राशि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।

4. स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि रू. 30,000/– (रूपये तीस हजार) बैंक का एफ.डी.आर. ठेके की अवधि तक रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा रहेगी तथा ठेका समाप्त होने पर वापस होगी बशर्ते कि प्राधिकरण को ठेकेदार से कोई बकाया लेना नहीं रहता हो।

5. पार्किंग का ठेका जिस व्यक्ति या फर्म द्वारा लिया जाएगा उसे स्वयं ही संचालित करना होगा। पार्किंग ठेकेदार किसी अन्य को पार्किंग स्थल का कार्य किराये पर (Subletting) नहीं देगा और ना ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

6. उच्चतम दर के प्रस्ताव को ही ठेका दिया जाएगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को होगा। आरक्षित ठेके की राशि से कम राशि का प्रस्ताव (ऑफर) स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जावेगी उन्हें अधिकतम बोली की पूरी राशि सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर नगद/ बैंक ड्राफ्ट (चेक स्वीकार नहीं होगा) द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करने के उपरांत ही अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं तत्पश्चात् ही पार्किंग संचालन का आदेश जारी किया जाएगा।

8. निविदादाता/ठेकेदार को उनके द्वारा पार्किंग स्थल के संचालक हेतु दी गई दर स्वीकृत होने के पश्चात् स्वयं के व्यय पर रू. 100/– के "नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर" पर रायपुर विकास प्राधिकरण से अनुबंध करना होगा। उसके बाद ही भूमि का भौतिक कब्जा योजना के सहायक अभियंता द्वारा दिया जावेगा।

9. (अ) प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग के लिए निम्नानुसार राशि निर्धारित की जाती है:–

क्रं.	वाहन	दर (रूपये में)			
		8 घंटे तक	16 घंटे तक	24 घंटे तक	मासिक
01	सायकल	रु. 5/–	रु. 8/–	रु. 10/–	रु. 125/–
02	मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला इत्यादि	रु. 10/–	रु. 15/–	रु. 20/–	रु. 250/–
03	कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक इत्यादि	रु. 20/–	रु. 30/–	रु. 40/–	रु. 500/–
04	हल्के माल वाहन	रु. 30/–	रु. 45/–	रु. 60/–	रु. 750/–
05	ट्रकें (अधिकतम 05 ट्रक एक बार में)	रु. 50/–	रु. 75/–	रु. 100/–	—

(ब) उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि से अधिक राशि लिये जाने पर प्राधिकरण द्वारा अनुबंध निरस्त कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

(स) पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की दरों के 2 सूचना बोर्ड आकार 2 X 3 में निविदादाता/ठेकेदार स्वयं के व्यय से लगाना होगा।

10. पार्किंग ठेकेदार स्वयं के व्यय से वाहन पार्क करने वाले हर व्यक्ति को मुद्रित टोकन पर्ची देगा। टोकन पर्चियां दो भागों में होगी। पहला भाग वाहन मालिक/चालक को देना होगा व दूसरा भाग पार्किंग ठेकेदार के पास रहेगा। टोकन पर्चियों को पार्किंग ठेकेदार द्वारा वाहन का नंबर, दिनांक व समय लिख कर देना होगा। टोकन पर्चियों में शुल्क का उल्लेख करना होगा ताकि वाहन पार्किंग करने वाला व्यक्ति पार्किंग की दरों से अवगत हो सके। वाहन पार्किंग निविदा की शर्तो की कंडिका (9) में उल्लेखित दरों में क्रं. 1 से 3 क्रं. 4 व 5 के लिए अलग रंग की टोकन पर्चियां मुद्रित छपवानी होगी। टोकन पर्चियों का प्रारूप प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता से अनुमोदित कराना होगा।

11. निविदादाता/ठेकेदार को रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा निर्धारित की गई भूमि पर ही सायकल, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला, कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक, हल्के माल वाहन, ट्रकें (अधिकतम 05 ट्रक एक बार में)

इत्यादि रखने हेतु पार्किंग स्थल का उपयोग करना होगा। वाहन पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं किया जायेगा

12. पार्किंग का क्षेत्रफल लगभग 12,800 वर्गफुट है। ठेकेदार को इस निर्धारित स्थल पर ही पार्किंग व्यवस्था करना होगा।

13. पार्किंग स्थल पर सायकल, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, रिक्शा, हाथ ठेला, कार, वैन, जीप, ऑटो, टाटा मैजिक, हल्के माल वाहन, ट्रकें (अधिकतम 05 ट्रक एक बार में) इत्यादि का देखभाल व सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी व्यक्ति के वाहन की पार्किंग से चोरी होने की दशा में इसकी भरपाई की जवाबदारी पार्किंग संचालक पर ही होगी। इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

14. रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों विकलांग व्यक्तियों एवं निशक्तजनों के वाहनों की पार्किंग सामान्य संचालन के दौरान निःशुल्क होगी।

15. पार्किंग संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने या किसी की अपंगता, मृत्यु होने की समस्त जिम्मेदारी, क्षतिपूर्ति, मुआवजा इत्यादि पार्किंग ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा।

16. पार्किंग ठेकेदार की यह बाध्यता होगी कि वह अपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रवृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करें।

17. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ठेके के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहली गलती पर रू. 500/– (पांच सौ रूपये) दूसरी व समान प्रकृति की गलतियों के दोहराव पर रू. 1000/– (एक हजार रूपये) का दंड/जुर्माना किया जाएगा। तीसरी गल्ती या इससे अधिक बार समान प्रकृति गलतियॉ बार–बार करने पर ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।

18. पार्किंग स्थल का ठेका आंगतुंको, व्यावसायिक परिसर के आबंटितियों उनके स्टॉफ व हितग्राहियों के मार्केट में आने–जाने वाले ग्राहकों व संबंधित कार्य के लिए आने वालों लोगों के उपयोग के लिए है। इसके अलावा आस–पास के अन्य क्षेत्र जो प्राधिकरण योजना क्षेत्र के बाहर के है। के अन्य वाहनों की पार्किंग यथा ट्रैव्हल्स एजेंसी या अन्य व्यक्तियों की पार्किंग पूर्णतः निषेध रहेगी।

19. निविदादाता/ठेकेदार को उक्त पार्किंग में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना यथा (आगजनी, क्षति, चोरी नुकसान आदि) हेतु स्वयं के व्यय से जनरल इन्श्योरंस कराना अनिवार्य होगा। इंशोरेंस के दस्तावेज कार्य आदेश के 30 दिवस के भीतर प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।

20. प्राधिकरण पार्किंग परिसर का नियमित रूप से साफ–सफाई किया जाना होगा।

21. सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में भी पार्किंग स्थल संचालित किया जा सकेगा।

22. पार्किंग ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

23. पार्किंग स्थल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मचारियों को हल्के नीले रंग (स्काई ब्लू) की वर्दी यथा पैंट–शर्ट पहनना होगा तथा शर्ट पर कर्मचारी के नाम की पट्टिका लगाना होना अनिवार्य होगा।

24. जिन ठेकेदारों पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदाएं स्वीकार नहीं होगी।

25. पार्किंग ठेका अनुबंध केवल एक साल के लिए वैध होगा तथा एक साल बाद ठेका आपसी सहमति से एक वर्ष की अवधि के लिए 10% राशि में वृद्धि कर बढ़ाया जा सकेगा।

26. पार्किंग ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा पार्किंग स्थल की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

27. पार्किंग ठेकेदार द्वारा कार्य में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के समय–समय पर लागू नियमों का पालन करना होगा तथा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन व स्वत्वों का भुगतान करना होगा।

28. उपरोक्त शर्तों के साथ अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को अनुबंध निरस्त कर ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यपालन अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)